प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश

संख्या : 11फ / शिविर / 2007–08 ए5स 23 लखनऊ दिनांक 20 अप्रैल 2007

विषय : अवमाननावाद रिट पिटीशन संख्या–820 / 20 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम ए.पी. सिंह व अन्य में समय–समय पर जारी मा. उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पंजीकरण / नवीनीकरण के सम्बंध में निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत रिट पिटीशन में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुपालन में आप द्वारा निजी चिकित्सकों / नर्सिंग होम / डायग्नोस्टिक सेन्टरों / पैथोलोजी व अन्य का पंजीकरण तथा नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।

एसोसिएशन आफ प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, लखनऊ के पत्र दिनांक 20.03.2007 महानिदेशक जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 को सम्बोधित है, में उठाये गये बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए आपको निजी चिकित्सकों के पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु निम्न प्रकार निर्देशित किया जाता है जिसका अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाये।

1. नवीन पंजीकरण पूर्ववत् स्वीकृत प्रक्रिया के अधीन होगे जिसमें आवेदक चिकित्सक जो कि व्यवसाय प्रारम्भ कर रहा है, मूल प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त आवेदन पत्र तथा प्रमाणपत्र छायाप्रति आदि सहित मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में स्वयं भौतिक रूप से पंजीकरण के लिए उपस्थित होगा।
2. यदि किसी चिकित्सक के अधिष्ठान में समय, सुविधाओं अथवा मानव संसाधन के सम्बंध में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, जो पूर्व पंजीकरण के समय दिये गये विवरण में भिन्न हैं, की सूचना तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी को देनी अनिवार्य होगी ताकि सभी अभिलेखों में तद्नुसार संशोधन किया जा सके।
3. पूर्व में पंजीकृत चिकित्सक अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मूल आवेदन पत्र जिस पर प्रथम बार पंजीकरण अंकित किया गया था, को पंजीकृत डाक से एक सेल्फ पते के पंजीकृत लिफाफे के साथ सक्षम अधिकारी को भेजकर भी नवीनीकरण कर सकेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकार से प्राप्त नवीनीकरण के आवेदन पत्र नवीनीकृत कर, आवेदक को अधिकतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराये गये उनके सेल्फ पते के लिफाफे में डाक द्वारा भेजना सुनिश्चित करेंगे।
4. पंजीकरण का समस्त कार्य निःशुल्क किया जायेगा तथा पंजीकरण की शेष व्यवस्था मा. उच्च न्यायालय व पूर्व में निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों के अनुरूप होगी।

भवदीय
(डी.सी. सक्सेना)
निदेशक, चिकित्सा उपचार

संख्या – 11फ / शिविर / 2007–08 524–27 तद् दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मण्डल ....
4. डा. सी.वी. पाण्डेय, अध्यक्ष एसोसिएशन आफ प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 20 मार्च 2007 के क्रम में सूचनार्थ

(डी.सी. सक्सेना)
निदेशक, चिकित्सा उपचार